

2025/23

2/25  
08/01/25

प्रशासन गांवों के संलग्न अभियान-2024

सेवामें,

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,  
उपखण्ड ... जिला ...

विषय:- राजस्व रेकॉर्ड दुरस्ती बाबत अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 ।

महोदय, पटवारी पटवार हल्का ...

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राजस्व रेकॉर्ड में अशुद्ध हैं जिसका विवरण निम्नानुसार है -

भूमि का विवरण	जमाबंदी में प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि को अन्डरलाईन करे)	की जाने वाली शुद्ध प्रविष्टि का विवरण
1	2	3
पटवार हल्का ... राजस्व ग्राम ... खाता संख्या - 127, 277 खसरा संख्या - कुल - 5 रकबा हेक्टेयर में ...	<u>खोजनाथ, प्रेमनाथ, श्री किरान</u> <u>पिता - हजमान नाथ,</u> <u>वरजीडेवी ५० हजमान नाथ</u> <u>राजी जाति - पुरोहित</u>	खोजनाथ, प्रेमनाथ, श्री किरान पिता - हजमान नाथ, वरजीडेवी ५० हजमान नाथ जाति - नाथ

संलग्न दस्तावेज (संलग्न दस्तावेज पर टिक का निशान लगाए) -

1. अशुद्धि होने से तुरन्त पहले की जमाबंदी/नक्शा
2. अशुद्धि के बाद की वर्तमान जमाबंदी/नक्शा
3. प्रभावित नामान्तरण की सत्यप्रति
4. हिस्से संबंधी अशुद्धि होने पर मजमे आम में हल्का पटवारी द्वारा तैयार सजरा / वंशावली
5. प्रार्थी द्वारा वंशावली के संबंध में शपथ पत्र।

कुल संलग्नक संख्या:-

प्रेमनाथ  
खोजनाथ  
हस्ताक्षर आवेदक

हल्का पटवारी व भू.अ.नि. की टिप्पणी मय स्पष्ट अनुशंसा (सपोर्टेड दस्तावेजों की जांच उपरांत) :-

~~प्राप्त जमीन के पुर्ण पत्र की जांच की गई संलग्न सत्य निरूपण व नामान्तरण के मजमे आम में रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी की जाति नाथ मिला जाना इस हेतु हस्ताक्षर पटवारी~~

भू.अ.नि.सहायक  
तहसीलदार की टिप्पणी :-

श्रीमान, रिपोर्ट भू.अ.नि. एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार जाति सुद्ध किया जाना उचित है।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, ... तहसीलदार (भू.अ.) ... जिला ...  
कमांक/राजस्व/धारा 136/2024/10 आदेश ... दिनांक:- 08/01/2025

प्रार्थी ... निवासी ... के आवेदन तथा हल्का पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक एवं तहसीलदार ... की रिपोर्ट संलग्न दस्तावेजों के आधार पर राजस्व रेकॉर्ड में हुई अशुद्धि को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत उपरोक्त आवेदन पत्र के सारणी के बिन्दु सं. 3 में अंकित प्रविष्टि अनुसार शुद्धि की कार्यवाही कर तहसीलदार ... राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना से अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावें।

उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
नाथ

कमांक/राजस्व/धारा 136/2024/10  
प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. तहसीलदार ... को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित करावें।
2. हल्का पटवारी ... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
3. प्रार्थी / आवेदक ... को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी  
नाथ